भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2364
सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

बालुस्सेरी में ईएसआई डिस्पेन्सरी की स्थापना

†2364. **श्री एम. के. राघवन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोझिकोड जिले के बालुस्सेरी में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) डिस्पेन्सरी की स्थापना के लिए दी गई स्वीकृति को निलंबित कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रस्तावित डिस्पेन्सरी की स्थापना न होने के कारण बालुस्सेरी क्षेत्र के बड़ी संख्या में बीमित श्रमिक और उनके आश्रित ईएसआई चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को बालुस्सेरी ईएसआई डिस्पेन्सरी की स्थापना के लिए स्वीकृति बहाल करने की मांग करते हुए केरल सरकार, जनप्रतिनिधियों या श्रमिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) मुख्यालय द्वारा कोझिकोड जिले के बालुस्सेरी में एक ईएसआई औषधालय की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। तथापि, केरल सरकार द्वारा उक्त औषधालय को संचालन में नहीं लाए जा सकने के कारण, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनांक 20.02.2026 को उक्त सैद्धान्तिक अनुमोदन वापस ले लिया गया था।

इसके उपरान्त केरल सरकार के बालुस्सेरी ईएसआई औपषधालय की स्थापना के संबंध में ईएसआईसी से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया, जिसे ईएसआईसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

वर्तमान में, बालुस्सेरी क्षेत्र के बीमित व्यक्ति तथा उनके आश्रित, एरनहिपालम स्थित ईएसआई औषधालय के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ईएसआईसी ने स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा जिला अस्पतालों के उपयोग के संबंध में एक नीति अनुमोदित की है। राज्य सरकार की सहमति के अध्यधीन, बीमित व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को तत्काल चिकित्सा देखभाल एवं चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने के लिए इन सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
